न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निशल संख्या 69/2019 निर्णय दिनांक :– 06.01.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. जगदीश पुत्र श्री जगन्नाथ जाति रेगर उम्र बालिग निवासी साण्डला तहसील देवली हाल निवासी शम्भू नगर, थड़ोली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक (राज0)
2. सुखलाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति रेगर उम्र बालिग निवासी साण्डला तहसील देवली हाल निवासी शम्भू नगर, थड़ोली तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली तहसील जिला टोंक राज0

– अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री शोभाराम मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल.आर. एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आरजीयात हाल खाता संख्या 217 खसरा नम्बर 332 रकबा 0.30 है0 भूमि वाके तनग्राम बीजवाड़ पटवार हल्का बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, जो जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकार्ड में वर्णित भूमि वादीगण व वादीगण के भाई रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ के नाम दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थीगण के भाई रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि हाल जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में प्रार्थी नं. 1 जगदीश व मृतक रामप्रसाद के मध्य राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाहीपूर्वक पुत्र शब्द दर्ज कर दिया है। जबकि जगदीश रामप्रसाद का पुत्र नहीं होकर सगा भाई तथा प्रार्थीगण व मृतक रामप्रसाद एक ही पिता जगन्नाथ रेगर के पुत्र है। प्रार्थीगण व मृतक रामप्रसाद के अन्य दस्तावेजो में सभी के पिता का नाम

जगन्नाथ दर्ज है। जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र के साथ वादीगण के आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि संलग्न है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई उक्त त्रुटि के कारण वादीगण को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है तथा वादीगण कई सरकारी योजनाओ के लाभ से लाभान्वित नहीं हो पर रहे है। इस त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु कई बार वादीगण व मृतक रामप्रसाद ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र दिये है लेकिन आज तक वादी नं. 1 जगदीश व मृतक रामप्रसाद के मध्य अंकित पुत्र शब्द को डिलीट कर दुरूस्त नहीं किया गया है। इस कारण वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नं. 1 व मृतक रामप्रसाद के मध्य अंकित पुत्र शब्द को डीलीट किया जाकर वादीगण क्रमशः जगदीश, रामप्रसाद सुखलाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। कारण हाल ही में उत्पन्न हुआ जब वादीगण द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र दिये जाने के बाद भी उक्त त्रुटि का संशोधन नहीं किये जाने से उत्पन हुआ है, जो निरन्तर जारी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सहखातेदार रामप्रसाद लाऔलाद फौत हो जाने के कारण रामप्रसाद को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण ही एकमात्र मृतक रामप्रसाद के विधिक वारिस है।

तहसीलदार देवली के जवाब बिन्दुसार निम्नानुसार है।

बिन्दु नं. 1 :– चरण स्वीकार है प्रार्थीगण की आराजीयात ग्राम बीजवाड़ तहसील देवली में स्थित हैं। बिन्दु नं. 2 :– राजस्व रिकार्ड मे जगदीश पुत्र रामप्रसाद दर्ज है। प्रार्थीगण स्वंय सिद्ध करे कि जगदीश का भाई रामप्रसाद है पुत्र नही है। बिन्दु स्वीकार नही है। बिन्दु नं. 3 :– प्रार्थीगण साण्डला के निवासी है। इनको बीसलपुर विस्थापित को आवंटन हुआ है। अतः आवंटन पत्रावली (अवार्ड) स्वंय पेश करे। बिन्दु स्वीकार नही है। बिन्दु नं. 4 प्रार्थीगण जगदीश, रामप्रसाद का भाई है या अन्य इससे संबंधित राजस्व रिकार्ड की नकले संलग्न करे। बिन्दु नं. 5 :– चरण 5 लगायत 9 न्यायालय से संबंधित है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा बीस बीसवा को आवंटन हेतु आवंटन पत्रावली अवार्ड व डूब मे आने से मुवावजा प्राप्त किये जिसके सबूत स्वंय सिद्ध करने पर ही निर्णय योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में

जगदीश पुत्र रामप्रसाद कर सहवन से कर दिया है जबकि वास्तव में जगदीश व मृतक रामप्रसाद आपस में भाई है और इनके पिता का नाम जगन्नाथ है। इसके लिए सरकारी दस्तावेज भी पेश किये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 217 वाके तनग्राम बीजवाड़ में जगदीश पुत्र रामप्रसाद अंकित है जबकि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार रामप्रसाद वादीगण का भाई है। इसके लिए प्रार्थीगण ने सुखलाल व जगदीश का आधार कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें सुखलाल व जगदीश के पिता का नाम जगन्नाथ दर्ज है। प्रार्थीगण ने रामप्रसाद का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है जिसके अनुसार मृतक रामप्रसाद का पिता जगन्नाथ रेगर दर्ज है। उक्त से साबित है कि प्रार्थीगण जगदीश, सुखलाल व रामप्रसाद आपस में सगे भाई है और इन तीनो भाईयो के पिता का नाम जगन्नाथ है। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिको से प्रार्थी जगदीश व मृतक रामप्रसाद का सम्बन्ध भाई के स्थान पर पुत्र दर्ज रिकॉर्ड हो गया, जिसको शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवली को जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 217 के ख. नं. 332 रकबा 0.30 है0, वाके ग्राम बीजवाड़ पटवार हल्का बीजवाड़ तहसील देवली में प्रार्थी नं. 1 जगदीश व मृतक रामप्रसाद के बीच अंकित पुत्र शब्द को विलोपित किया जाकर जगदीश, रामप्रसाद, सुखलाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली